

सराहनीय कार्य
प्रेस - नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 26.03.2023

जानलेवा हमला करने वाले आरोपी अभियुक्त (हिस्ट्रीशीटर) गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा

बरामद:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के क्रम में आज दिनांक 26.03.2023 को क्षेत्राधिकारी तरबगंज के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0 510/2022, धारा 323, 504, 506, 307 भादवि का वांछित आरोपी अभियुक्त व थाना नवाबगंज का हिस्ट्रीशीटर धर्मेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ गब्लू सिंह को गिरफ्तार कर उसके निशादेही पर अवैध तमंचा बरामद किया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना नवाबगंज क्षेत्र के अन्तर्गत बच्चो-बच्चो की कहासुनी को लेकर अभियुक्त ने वादी अश्वनी कुमार को मारने पीटने लगा तथा जान से मारने की नीयत से अवैध तमंचा से फायर कर दिया था। जिसके सम्बन्ध में थाना नवाबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गई।

नाम व पता अभियुक्त-

01. धर्मेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ गब्लू सिंह पुत्र स्व0 धर्मराज सिंह निवासी ग्राम चौखड़िया थाना नवाबगंज, गोण्डा।

बरामदगी

01. 01 अदद अवैध तमंचा .12 बोर

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 510/22 धारा 323, 504, 506, 307 भादवि0 व 3/25 आर्मस एक्ट थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त धर्मेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ गब्लू सिंह (हिस्ट्रीशीटर)

01. मु0अ0सं0 369/14 धारा 307/302 भादवि0 थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा।

02. मु0अ0सं0 269/14 धारा 327/504/506 भादवि0 थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।

03. मु0अ0सं0 355/14 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।

04. मु0अ0सं0 361/15 धारा 3/14 यूपी0 गुण्डा एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

05. मु0अ0सं0 421/15 धारा 394/411/504/506 भादवि0 थाना नवाबगंज, गोण्डा।

06. मु0अ0सं0 474/15 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना नवाबगंज, गोण्डा।

07. मु0अ0सं0 612/15 धारा 147/148/149/352/307 भादवि0 थाना नवाबगंज, गोण्डा।

08. मु0अ0सं0 16/17 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना नवाबगंज, गोण्डा।

09. मु0अ0सं0 67/19 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना नवाबगंज, गोण्डा।

10. एनसीआर 283/19 धारा 323/504 भादवि0, गोण्डा।

11. मु0अ0सं0 274/20 धारा 323/504/506 भादवि0 थाना नवाबगंज, गोण्डा।

12. मु0अ0सं0 510/22 धारा 323/504/506/307 भादवि0 व 3/25 आर्मस एक्ट थाना नवाबगंज, गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता

अति0प्र0नि0 अरविन्द यादव मय टीम थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 26.03.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 18 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना कोतवाली मनकापुर पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. विजान मिस्त्री पुत्र निरमोल मिस्त्री उर्फ निर्मला मिस्त्री निवासी बेराबेरिया थाना अमडेगा जनपद उत्तर चौबिस परगना (पं0बं0) हालपता उमेश पाठक नि0 ग्रा0 तेलियानी पाठक थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 17 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 143/23, 02. रामराज पुत्र तुलाराम निवासी रतनपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 146/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना को0नगर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. ब्रह्मादीन गिरि पुत्र जगतपाल गिरि निवासी महादेवा थाना को0 नगर गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 250/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. अंकित निषाद पुत्र तहसीलदार निषाद निवासी ग्राम जैतपुर मांझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 146/23, 02. जितेन्द्र पासवान पुत्र शिव वरदान पासवान निवासी ग्राम तुरकौली थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 25 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 147/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 26.03.2023

नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का वांछित अभियुक्त मिशन शक्ति अभियान के तहत गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 देहात पुलिस ने आज दिनांक 26.03.2023 को क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के वांछित अभियुक्त- राहुल पाण्डेय को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना को0 देहात क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता की माँ द्वारा थाना को0 देहात में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. राहुल पाण्डेय पुत्र विशम्भरनाथ निवासी भालूपुरवा लौव्वाटेपरा थाना को0 देहात, जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-130/2023 धारा 323, 452, 354, 504, 506 भादवि व 7/8 पॉक्सो ऐक्ट थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 राकेश कुमार मय टीम।